राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक : एफ. 15(1)कार्मिक/क–2/2009पार्ट   जयपुर, दिनांक :– 10.01.2019

–:स्पष्टीकरण आदेश:–

विषय:–पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त राज्य सरकार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रभार दिये जाने के संबंध में।

सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति किये जाने की प्रक्रिया बाबत् निर्देश कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 31.03.2015 के द्वारा प्रसारित किये गये हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम–151 के अन्तर्गत वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.09.2014 के प्रावधान के अन्तर्गत 'Pay (-) Pension' के आधार पर की जाती है। सेवानिवृत कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति हेतु कार्मिक व वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् **माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन आवश्यक है।**

पुनर्नियुक्त सेवानिवृत कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि कतिपय विभागों द्वारा पे माईनस पेंशन के आधार पर किसी पद विशेष पर पुनर्नियुक्ति करने के उपरांत इन अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने पद के साथ–साथ विभाग के अन्य रिक्त पदों का अतिरिक्त कार्यभार भी स्वयं के स्तर पर प्रदान कर दिया जाता है, जो नियमानुसार उचित नहीं है।

अतः कार्मिक विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 31.03.2015 के क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति किसी पद पर की जाती है तो उसे अन्य किसी पद का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जावे। यदि विभाग, ऐसे किसी अधिकारी/कर्मचारी को अतिरिक्त कार्यभार देना आवश्यक समझता है तो उसे पुनर्नियुक्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी करनी होगी अर्थात अन्य पद का अतिरिक्त कार्यभार देने से पूर्व विभाग को कार्मिक/वित्त विभाग की सहमति के पश्चात, माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

अतः समस्त प्रशासनिक विभागों एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ठ किया जाता है कि उक्त प्रक्रिया की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जावे।

(रोली सिंह) 10/1/19.
प्रमुख शासन सचिव

कृ.प.उ

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/ विशिष्ठ शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/वरिष्ठ उप शासन सचिव/उप शासन सचिव।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर्स।
6. मंत्रिमण्डल सचिवालय।

(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राज. विधानसभा, जयपुर।
3. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

1/2019